संख्या-46/2018-1944 ई-2/तेरह-2018-95/2015

प्रेषक,

वेद प्रकाश राय,
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

आबकारी आयुक्त,
उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।

आबकारी अनुभाग-2 लखनऊ::दिनांक 19 जून,2018

विषय:- अल्कोहल वर्ष 2017-18 में देश के बाहर माल्ट स्प्रिट के निर्यात की अनुमति प्रदान करने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-19929/नौ-अल्कोहल/देश के बाहर निर्यात (5)/भा0नि0वि0म0, दिनांक 31 मार्च,2018 तथा पत्र संख्या-4048/नौ-अल्कोहल/देश के बाहर निर्यात (5)/भा0नि0वि0म0, दिनांक 17 मई,2018 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि आपके उक्त संदर्भित पत्रों द्वारा प्रेषित प्रस्ताव एवं की गई संस्तुति पर सम्यक विचारोपरान्त मे0 पिलखनी डिस्टिलरी एण्ड केमिकल वर्क्स (ए यूनिट आफ साइनोव स्प्रिट्स प्रा0लि0), पिलखनी, जनपद सहारनपुर को उनकी अधिष्ठापित क्षमता के अन्तर्गत अल्कोहल वर्ष 2017-18 में क्रमश: 15,000(पन्द्रह हजार) एवं 10,000(दस हजार) बल्क लीटर माल्ट स्प्रिट (60**%v/v**) देश के बाहर निर्यात करने की अनुमति एतद्द्वारा इस प्रतिबन्ध के साथ प्रदान की जाती है कि प्रदेश में अल्कोहल की कमी होने पर देश के बाहर माल्ट स्प्रिट के निर्यात पर रोक लगाये जाने पर आसवक को कोई आपत्ति नहीं होगी।

कृपया तद्नुसार आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करें।

भवदीय,
(वेद प्रकाश राय)
अनु सचिव।